पत्रांक सं0–बी0 / परि0–08–1002 / 2008–86

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(सामान्य शाखा)

प्रेषक,

गिरीश शंकर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पटना।
वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना।
अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना।

पटना–15, दिनांक 21 मई, 2008

विषयः– राज्य अतिथियों के स्वागत एवं विदाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि इस राज्य में पधारनेवाले राज्य अतिथियों / विशिष्ट महानुभावों के राजकीय अतिथिशाला, पटना / पटना परिसदन में पहुँचने पर उनके स्वागत एवं विदाई के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गये हैं :–

(1) राजकीय अतिथिशाला, पटना / पटना परिसदन में पहुँचने पर राज्य अतिथि / विशिष्ट महानुभाव का अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना / परिसदन के प्रभारी पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी स्वागत करेंगे।

(2) अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला एवं पटना परिसदन के प्रभारी पदाधिकारी, बिहार एवं पटना से संबंधित फोल्डर पर्यटन विभाग से सम्पर्क कर तैयार करेंगे तथा राज्य अतिथियों के आगमन पर उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(3) अन्य राज्यों के मा0 मुख्यमंत्री या अन्य राज्य अतिथियों के प्राइवेट / ट्रांजिट परिभ्रमण के क्रम में नयाचार हस्तक के चैप्टर–IX की कंडिका 9.2.3.7 के अनुसार स्वागत एवं विदाई हेतु राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी को एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पुलिस अधीक्षक द्वारा एक सुयोग्य पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इस व्यवस्था के अतिरिक्त जिला के नयाचार पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

27/5/08

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव